कार में सवार हथियार तस्कर पकड़ा पिस्टल-रिवॉल्वर बरामद

नवभारत न्यूज

मुरैना, 18 मई । बानमौर पुलिस ने सोमवार को कार में सवार होकर

बानमौर पुलिस ने एनएच-44 हाईवे पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया

ग्वालियर से दिल्ली की ओर जा रहे एक हथियार तस्कर को एनएच-44 हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार समेत 1 रिवॉल्वर, दो पिस्टल, एक जिंदा राउण्ड और 2 खाली मैग्जीन बरामद किए है।

जानकारी के अनुसार बानमौर थाना प्रभारी निरीक्षक दीपेन्द्र सिंह यादव को 18 मई को सूचना मिली कि एक तस्कर कार में बड़ी संख्या में अवैध हथियारों के साथ एनएच-44 हाईवे से होकर झांसी से दिल्ली की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने बानमौर गांव के पास चैक पॉइंट लगाकर वाहनों की चैकिंग शुरू की। पुलिस टीम को देखकर ग्वालियर की ओर से आ रही कार क्रं. डीएल4सी-ईए-4000 के चालक ने कार को हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ाना शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए पीछा करने के बाद एनएच-44 हाईवे पर बिजलीघर के पास कार को पकड़ लिया। कार में सवार युवक सनत दुबे पुत्र प्रजीव दुबे निवासी वीरांगना नगर झांसी यूपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने कार से 32 बोर की दो पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक जिंदा राउण्ड और दो खाली मैग्जीन बरामद किए। कार समेत हथियारों को जब्त कर पुलिस तस्कर को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। कार्रवाई में निरीक्षक दीपेन्द्र सिंह यादव, एसआई यशपाल बरौनिया, प्र.आर. राजकुमार, रतन यादव, रोहताल, आरक्षक सुनील यादव, अवकाश जाट, आकाश बाथम, अरविंद धाकड़ शामिल थे।

कृष्णा विहार कॉलोनी फायरिंग केस में एक नाबालिग गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

मुरैना, 18 मई । सिविल लाईन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा विहार कॉलोनी में 17 मई की रात को फायरिंग किए जाने के मामले

जिंदा कारतूस के साथ 315 बोर का कट्टा बरामद

में पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर कट्टा और जिंदा राउण्ड बरामद किए गए है।

जानकारी के अनुसार 17 मई की रात को कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी अतुल सिकरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 15 मई की रात 10 बजे वो अपने कुत्ते को घुमा रहा था। तभी बाइक पर जा रहे कृष्णा पुत्र द्वारिका गोस्वामी और उसके एक साथी ने कुत्ते को टक्कर मार दी थी। कुछ देर बाद वे दोनों अपने साथियों के साथ वहां पहुंचें और गालियां देते हुए कट्टे से हवाई फायरिंग कर डाली थी।

इस मामले में पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर 18 मई को सैय्यद नहर के पास कृष्णा विहार कॉलोनी से एक नाबालिग आरोपी को दबोच लिया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उदयभान सिंह यादव और उनकी टीम शामिल थी।

शहर के बांकेबिहारीजी मंदिर में भागवत कथा 21 मई से होगी

मुरैना, 18 मई । शहर के सर्राफा बाजार स्थित बांके बिहारीजी महाराज मंदिर में 21 मई से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आयोजन श्री बांके बिहारी महिला भक्त मंडल द्वारा कराया जा रहा है। सात दिवसीय कथा में कथा व्यास पं. कुलदीप कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं को भागवत कथा का रसपान कराएंगे। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से हरि इच्छा तक चलेगी। कार्यक्रम का समापन 27 मई को पूर्णाहुति के साथ होगा, जबकि 28 मई को भंडारा एवं प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से सपरिवार शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। महिला मंडल की सदस्याओं के अनुसार कथा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।

सहरिया बसाहटों में विशेष संतृप्ति शिविर आयोजित होंगे

नवभारत न्यूज

मुरैना, 18 मई । प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम

जन भागीदारी, सबसे दूर-सबसे पहले अभियान 18 मई से 25 मई तक चलेगा

उत्कर्ष अभियान के तहत 18 से 25 मई 2026 तक जन भागीदारी, सबसे दूर-सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जिले की 42 सहरिया बसाहटों में विशेष लाभार्थी संतृप्ति शिविर आयोजित किए जाएंगे।

अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सहरिया समुदाय तक केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है। शिविरों में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार जिले के पांच विकासखंडों की चिन्हित सहरिया बस्तियों में शिविर लगाकर शासन की योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों के आवेदन भी लिए जाएंगे।

चंबल की रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़े, ड्राईवर फरार

नवभारत न्यूज

मुरैना, 18 मई । माताबसैया थाना पुलिस ने सोमवार को चंबल नदी की रेत का अवैध रूप से परिवहन कर रहे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान ड्राईवर वाहन को छोड़कर भागने में कामयाब रहा।

जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली रेत के परिवहन की सूचना पर माताबसैया थाना प्रभारी एसआई विवेक तोमर अपनी टीम के साथ कुतवार-खेरिया गांव के मोड़ पर चैक पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम को देखकर चंबल नदी

माताबसैया थाना पुलिस की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज

की रेत से भरे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली को छोड़कर ड्राईवर भाग निकला। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मप्र खान एवं खनिज अधिनियम सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।

सीमांकन पर विवाद, महिला किसान के आरोप, हुई एकपक्षीय कार्रवाई

नवभारत न्यूज

मुरैना/कैलारस, 18 मई । तहसील क्षेत्र के ग्राम कुटरावली में कृषि भूमि के सीमांकन को लेकर

एसडीएम सबलगढ़ को दिया आवेदन, कार्रवाई की मांग

विवाद गहरा गया है। महिला किसान रामश्री धाकड़ पत्नी रामनिवास धाकड़ ने प्रशासन पर लापरवाही और राजस्व अमले की सांठगांठ का आरोप लगाते हुए एसडीएम सबलगढ़ को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

महिला किसान का आरोप है कि उनकी भूमि सर्वे नंबर 463, 464 और 465 की जमीन पर पड़ोसी पक्ष ने जबरन मेड़ बनाकर सीमेंट के पिलर गाड़ दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी संतोष त्यागी और कमलेश पलिया ने बिना सूचना दिए विपक्षी पक्ष की जमीन का एकपक्षीय सीमांकन कर दिया, जबकि पूर्व में उनके आवेदन पर यह कहकर सीमांकन से इन्कार कर दिया गया था कि गांव का नक्शा मौके से मेल नहीं खाता। आवेदिका के अनुसार सीमांकन की कार्रवाई मौके पर न होकर बंद कमरे में की गई और फर्जी पंचनामा तैयार किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंचनामे पर केवल विपक्षी पक्ष के लोगों के हस्ताक्षर कराए गए। महिला किसान ने प्रशासन से मांग की है कि कथित अवैध सीमांकन आदेश निरस्त कर खेत में गाड़े गए सीमेंट के पिलर हटाए जाएं तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

एक नजर में

महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर हुई रायशुमारी

मुरैना, 18 मई । शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में महिला जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के चयन को लेकर सोमवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी शांति कुशवाह एवं सहप्रभारी अनुपमा भदौरिया ने संगठन सृजन अभियान के तहत पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर इच्छुक दावेदारों के बायोडाटा एकत्र किए। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और महिला कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर ने कहा कि संगठन में सक्रिय और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र जाटव, महासचिव कुलदीप यादव, पूर्व संगठन मंत्री सुभाष सिकरवार, प्रवक्ता अवनीश कटारे, नजमा खान, मंजू सिकरवार, शशि कैमोर, आशा वैपुरिया, ममता कुशवाह, मदनमोहन, मीरा कुशवाह, लक्ष्मी कुशवाह, अनीता शर्मा, सीमा खान, राबिया खान, जोहराबाई सहित महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

विधिक शिविर में दी पॉक्सो एक्ट, सड़क सुरक्षा की जानकारी

मुरैना/जौरा । ग्राम पंचायत बिलगांव में सोमवार को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं को बच्चों के अधिकार, पॉक्सो कानून, बाल श्रम निषेध, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना रहा। चतुर्थ जिला न्यायाधीश माधव प्रसाद नामदेव ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है। उन्होंने बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार एवं सुरक्षित वातावरण में जीवन जीने के अधिकार की जानकारी भी दी। शिविर में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग तथा साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए गए। कार्यक्रम में सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।

अभा वैश्य महासम्मेलन की नवीन कार्यकारिणी घोषित

मुरैना/पोरसा, 18 मई । अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन इकाई पोरसा की बैठक संत वाटिका स्थित सेठ गोरेलाल धर्मशाला में सोमवार को आयोजित हुई। बैठक में संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई तथा समाजहित से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष-2026 की हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले वैश्य समाज के छात्र-छात्राओं का इसी माह के अंतिम सप्ताह में सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। बैठक में संगठन की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। जिसमें रामशंकर गुप्ता, रामदत्त गुप्ता को संरक्षक बनाया गया है। जबकि हरिशंकर गुप्ता को अध्यक्ष तथा हरिओम अग्रवाल को महामंत्री के दायित्व सौंपे गए है। राकेश जैन-कोषाध्यक्ष और राधाकृष्ण गुप्ता को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में बालकिशन वर्मा, रामसेवक गुप्ता, दिनेशचंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र जैन, महेशचंद्र पेगोरिया, महावीर जैन, किशन बंसल, डॉ. अनिल गुप्ता, माधव गांगिल सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

हत्या के प्रयास के मामले में फरार गंगाराम गुर्जर गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

मुरैना, 18 मई । शहर की संजय कॉलोनी में विगत 8 मई को विवाद के दौरान फायरिंग कर युवक की हत्या का प्रयास किए जाने के मामले में कोतवाली

शहर की संजय कॉलोनी में 8 मई को हुई थी घटना, तीन हजार का था ईनाम

पुलिस ने फरार चल रहे तीसरे आरोपी गंगाराम गुर्जर को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर तीन हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

पुलिस ने बताया कि फायरिंग, हत्या के प्रयास की धाराओं में फरियादी संजय पुत्र रामप्रकाश गुर्जर की रिपोर्ट पर भोला, गंगाराम, कल्ला एवं समुंदर गुर्जर के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। आरोपियों के ऊपर एसपी मुरैना ने तीन-तीन हजार का ईनाम घोषित किया था। पुलिस आरोपी भोला गुर्जर और समुंदर गुर्जर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। फरार चल रहे गंगाराम पुत्र श्रीकृष्ण गुर्जर नि. गड़ौरा थाना सरायछौला को पुलिस ने 18 मई को श्यामविहार कॉलोनी से दबोच लिया। कार्रवाई में निरीक्षक अमित सिंह भदौरिया, एसआई अरुण कुशवाह, एएसआई राजेन्द्र विमल, प्र.आर. अनिल दोहरे, शिवप्रताप सिंह, आरक्षक सत्यम शर्मा, कुलदीप, अशोक, अर्जुन, सूरज शामिल थे।

चंबल नदी के रिठौराखुर्द घाट पर 5300 ट्रॉली डंप रेत कराया नष्ट

नवभारत न्यूज

मुरैना, 18 मई । कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश एवं एसपी धर्मराज मीणा के मार्गदर्शन में सोमवार को चंबल नदी के रिठौराखुर्द घाट पर रेत के अवैध भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रशासन, वन विभाग और पुलिस

भारी पुलिस फोर्स के साथ टास्क फोर्स की कार्रवाई

की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 5300 ट्रॉली रेत का नष्टीकरण कराया गया।

संयुक्त टीम ने 2 जेसीबी मशीनों की मदद से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्रवाई करते हुए रेत को नष्ट कराया। नष्ट कराई गई रेत का बाजारू मूल्य 1 करोड़ 6 लाख रूपये बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई में वनमंडलाधिकारी हरिश्चंद्र बघेल, जिला खनिज अधिकारी एसके निर्मल, थाना प्रभारी सरायछौला, वन विभाग, एसएएफ बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शामिल रही।

मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित, 25 तक लिए जाएंगे दावा-आपत्तियां

नवभारत न्यूज

मुरैना, 18 मई । नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 को लेकर सोमवार को जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने की।

बैठक में नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि मतदान केंद्रों का पुनर्गठन एवं अधिक मतदाताओं वाले केंद्रों का विभाजन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पंचायत क्षेत्रों में 780 से अधिक तथा नगरीय निकाय क्षेत्रों में 1200 से अधिक मतदाता होने पर संबंधित मतदान केंद्रों को विभाजित किया गया है। ईआरएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची तैयार की गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि 15 मई से 25 मई 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और दावे-आपत्तियों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

कलेक्टर जांगिड़ ने राजनीतिक दलों और नागरिकों से मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं पारदर्शी बनाने में सहयोग की अपील की।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश निवासी ग्राम पोरसा, तह. पोरसा जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा एक आवेदन पत्र ऋण प्राप्त करने हेतु हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड शाखा मुरैना में प्रस्तुत किया है। जिसमे पूर्व का एक विक्रय पत्र जो कि मोहकम सिंह पुत्र श्री बुलझारी लाल एवं श्री मुंशीलाल जाटव पुत्र श्री बुलझारी द्वारा श्री सुरेश राठौर पुत्र श्री कुंजी राठौर एवं राजेन्द्र राठौर पुत्र श्री रामनाथ राठौर के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं. एमपी25812016-ए-1189278 दिनांक 29.03.2016 को रकवा 675 वर्गफीट जो कि सर्वे नं. 438 मिन ग्राम पोरसा, तह. पोरसा जिला मुरैना पर स्थित है। उक्त विक्रय पत्र कहीं गुम हो गया है। उपरोक्त सम्पति के संबंध में यदि किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी हित / हक हो तथा सम्पति को बंधक रखने में आपति हो तो अपनी आपति लिखित में दर्ज करा सकता है। अतएव इस आम सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि ऊपर लिखित सम्पति के संबंध में कोई भी बैंक वित्तीय संस्था, प्राइवेट फाइनेंसर आदि के पास उपरोक्त विक्रय पत्र, प्लाट/संपति, पूर्व से रहन, दानपत्र अथवा विक्रय पत्र आदि से बंधक हो तो या अन्य किसी भी प्रकार से संपति को बंधक रखने में कोई आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मय दस्तावेजों के लिखतम आपत्ति मेरे कार्यालय में दर्ज कराएं। अवधि उपरांत मेरा पक्षकार हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा ग्वालियर द्वारा उपरोक्त संपति को बंधक रखकर ऋण दिए जाने की कार्यवाही निष्पादित करा ली जावेगी। उसके बाद की समस्त आपत्ति मेरे पक्षकार के मुकाबले प्रभावहीन व शून्यवत होंगी।

एडवोकेट महेन्द्र कुमार जैन
मोबा. नं. 9425126738

आम सूचना

श्री बृजभूषण शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित बसंत विहार कॉलोनी, न्यू कोर्ट के सामने वाली गली, ग्राम जौराखुर्द, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.13 (लोहिया वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.463/7 ग्राम जौराखुर्द का भाग है। एवं जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-भवन रमाकांत त्यागी, पश्चिम में-सम्पत्ति बृजभूषण शर्मा, उत्तर में-सम्पत्ति बृजभूषण शर्मा एवं दक्षिण में-रास्ता आम है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री बृजभूषण शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा, श्रीमती आनंदी पत्नी स्व. श्री गिर्राज, श्री मनीराम पुत्र श्री उमरई, श्री रामबाबू पुत्र श्री मनीराम, श्री रामगोपाल पुत्र श्री छोटेलाल एवं श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामचरन के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री बृजभूषण शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती राधा शर्मा पत्नी श्री बृजभूषण शर्मा के हित में लिखतम सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किये जाने हेतु डीड का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्री बृजभूषण शर्मा एवं श्रीमती राधा द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार आदित्य बिड़ला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हों।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या.-भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.),
मो.नं. 98276-72710